

प्राथमिकता का निर्धारण

1. कक्षा 1लीं में प्रवेश हेतु छात्र की आयु $5\frac{1}{2}$ वर्ष से $6\frac{1}{2}$ वर्ष (31 मई 2025 की स्थिति में) होनी चाहिए।
2. प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीटों का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा।
3. बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
4. सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम संचालित इस विद्यालय में कक्षा 1लीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु पूर्व कक्षा में जिनका माध्यम अंग्रेजी है उन्हें प्राथमिकता दिया जायेगा।
5. कक्षा 1लीं से 9वीं तक लॉटरी हेतु प्रवेश में प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने के लिए कक्षा 1लीं से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिये 3 कि.मी. के भीतर निवासरत परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिये 5 कि.मी. की परिधि में निवासरत परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी प्रकार कक्षा 9वीं एवं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये 10 कि.मी. की परिधि में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. कक्षा 11वीं हेतु कक्षा 10वीं में प्राप्त प्राप्तांको की मेरिट के आधार पर प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।


Principal
Swami Atmanand Govt. English School
Pump House, Korba (C.G.)